न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–05/2021 भरण पोषण अधिनियम

सुभाष पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट आयु 40 वर्ष निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

कृष्णलाल पुत्र श्री टीकूराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 13, रणजीतपुरा, तहसील व हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्ट

अपील संख्याः–07/2021 भरण पोषण अधिनियम

कृष्णलाल पुत्र श्री टीकूराम उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 13, रणजीतपुरा, तहसील व हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सुभाष पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. शारदा देवी पत्नी श्री सुभाष जाट, निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.10.2021 न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ प्रकरण संख्या–05/2018 बअनवानी कृष्णलाल बनाम सुभाष व अन्य के सम्बन्ध में।

निर्णय **दिनांकः–14.07.2022**

अपीलार्थी सुभाष द्वारा इस न्यायालय में भरण–पोषण अधिनियम की धारा 16 के तहत न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ प्रकरण संख्या–05/2018 बअनवानी कृष्णलाल बनाम सुभाष व अन्य के निर्णय दिनांक 12.10.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपील सं. 05/2021 दर्ज रजिस्टर की गई। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट कृष्णलाल द्वारा न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के अपीलाधीन प्रकरण संख्या–05/2018 बअनवानी कृष्णलाल बनाम सुभाष व अन्य के निर्णय दिनांक 12.10.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। दोनों ही अपील एक ही प्ररकण संख्या, अनवान व आदेश विरूद्ध पेश की गई जो समान प्रकृति की व प्रभावित पक्षकार भी समान ही होने पर अपील सं. 07/2021 को अपील सं. 05/2021 के साथ संलग्न

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया व दोनों अपील समान प्रकृति की होने पर इनका निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 05/2021 के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के दो लड़के सुभाष व भजनलाल है। भजनलाल बाहर नौकरी करता है तथा सुभाष को गावं रणजीतपुरा में ही वर्ष 2014 में अलग मकान लेकर दे दिया जिसमें वह वर्ष 2014 से ही अपनी पत्नी सहित रहता है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी का पुत्र व पुत्रवधू है। प्रार्थी 65 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जो गांव रणजीतपुरा के वार्ड नं. 13 में स्थित अपने रिहायशी मकान में निवास करता है तथा वृद्ध होने के कारण अपनी सेवा व देखभाल के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर है। प्रार्थी के आधिपत्य व स्वामित्व का वार्ड नम्बर 13, गांव रणजीतपुरा में भूखण्ड रिहायशी मकान है जो प्रार्थी का काफी अर्सा पूर्व खरीदशुदा है, जो प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति है जिसका उपयोग व उपभोग करने का प्रार्थी को पूर्णतया अधिकार है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में है जिसमें प्रार्थी ने अपने निवास करने के लिए कमरे, रसोई, स्नानघर व शौचालय बना रखे है तथा इस मकान में प्रार्थी अपनी पत्नी व अपनी पुत्री सुलोचना व दोहिती कनिका सहित रहता है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी से काफी अर्सा से अलग ही निवास करते है व उनकी सम्पति व मकान भी उन्हे बांटकर रखा है। प्रार्थी की पुत्री सुलोचना को उसके पति श्रवण कुमार पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी डूमासर तहसील नोहर ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर छोटी बच्ची सहित घर से निकाल रखा है। प्रार्थी की पुत्री सुलोचना की ननद अप्रार्थीया सख्या 2 शारदा देवी प्रार्थी के पुत्र अप्रार्थी सुभाष के साथ ब्याही हुई है। अप्रार्थीगण दोनो झगड़ालू किस्म के है तथा प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी से रंजिश रखते है व उन्हे जान से मारना चाहते है व प्रार्थी के मकान को हड़पना चाहता है, प्रार्थी की पुत्री सुलोचना को उसके ससुराल वालों द्वारा घर से निकाल देने के बाद अप्रार्थीगण, प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को जान से मारने की धमकीयां देते रहते है व अनावश्यक रूप से प्रार्थी के जीवनयापन में दखलंदाजी कारित करते रहते है व प्रार्थी को हमेशा ही जान माल का नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते है। प्रार्थी को कहते है कि बुढा कब करेगा और कब यह सम्पति उनके कब्जा में आयेगी। अप्रार्थीगण, प्रार्थी को झूठे मुकदमा में फंसाने की धमकी देते है। अप्रार्थीगण का यह दायित्व है कि वे प्रार्थी के वृद्धावस्था में भरण–पोषण, सेवा चाकरी व देखभाल करे लेकिन वे इससे विमुख होकर प्रार्थी के मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर हड़पना चाहते है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण के गाली गलौच, अपशब्द, क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण मानसिक रूप से काफी अंशात व परेशान हो गया है तथा प्रार्थी शांतिपूर्वक जीवन निर्वहन से वंचित हो गया है। करीब 10 दिन पूर्व अप्रार्थीगण ने एक राय होकर प्रार्थी के उक्त रिहायशी मकान का जबरदस्ती ताला तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया व प्रार्थी का घर में रखा हुआ सामान अपने घर में ले गये तथा प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी व पुत्री को घर में घुसने नहीं दिया व धक्के देकर जबरदस्ती घर से निकाल दिया व मकान पर कब्जा कर लिया। इस सम्बन्ध में दिनांक 10.02.2018 को सीआई साहब पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन में भी प्रार्थना पत्र दिया। अप्रार्थीगण, प्रार्थी को बिना इजाजत के जबरदस्ती प्रार्थी के मकान पर कब्जा वापिस प्राप्त करना चाहता है। अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थी के निवास वाले चार कमरों व रसोई में प्रवेश कर रहे है व उसका नाजायज रूप से उपयोग कर रहे है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरूद्व यह आदेश भी चाहता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी स्वामित्व शुदा रिहायशी मकान में किसी प्रकार की तोड़–फोड़ नहीं करे व

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी पुत्री तथा दोहिती के निजी जीवन में दखलंदाजी कारित करने से व उनके निवास गृह में प्रवेश करने से निषिद्व रहे।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी व उसकी पत्नी को प्रारम्भ से ही अपने साथ नही रखा जा रहा व सन् 2015 में अप्रार्थी व उसकी पत्नी शारदा को बेदखल किया जा चुका है। प्रार्थी के आधिपत्य का जो भूखण्ड/रिहायशी मकान प्रार्थी द्वारा स्वअर्जित सम्पति बताई जा रही है जो अप्रार्थी के दादा टीकुराम द्वारा निर्मित व प्रार्थी के दादा के जीवनकाल में बनाई गई है। अप्रार्थी व अप्रार्थी की बहन की शादी सन् 2012 में एक ही परिवार में आमने सामने हुई है। अप्रार्थी की बहिन सुलोचना का अपने पति से मन में मनमुटाव होने के कारण अपने पति श्रवण से अलग गावं रणजीतपुरा में रह रही थी। सुलोचना ने अपने पति पर काफी मुकदमें कर रखे है। अप्रार्थी व अप्रार्थी की माता सुलोचना चाहते थे कि अप्रार्थी भी अपनी पत्नी शारदा को घर से निकाल दे व तलाक दे देवे। अप्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी व बच्चों का परित्याग करने से मना करने की रंजिशवश ही सुलोचना व अप्रार्थी के माता पिता, प्रार्थी को तंग परेशान करने व अप्रार्थी की पैतृक सम्पति को खुर्द बुर्द करने की चेष्टा करते रहते है, जिस पर अप्रार्थी द्वारा मकान रणजीतपुरा में कब्जाशुदा 100 गुणा 80 फुट के प्लाट में से प्रार्थी के 1/4 हिस्सा व कृषि भूमि चक 9 आर.पी. खाता संख्या 36 पत्थर नम्बर 165/365 (16) किला नम्बर 10, 11 के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है, उक्त स्थगन आदेश के कारण ही अप्रार्थी के पिता, अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या आधारों पर उक्त प्रकरण दर्ज करवाया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही के सम्बन्ध में अपीलार्थी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 12.10.2021 के जरिए स्वीकार कर लिया गया। अधिनियम की धारा 6 (6) के अनुसार धारा 5 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई से पूर्व समझौता अधिकारी के समक्ष मामले को रेफर किया जाना आवश्यक था परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण को समझौता अधिकारी के समक्ष रेफर किए बिना ही अंतिम आदेश कर दिया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अभिवचनों को बिना किसी साक्ष्य के सही होना मानकर अपना आदेश पारित किया है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2021 को अपास्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

अपीलार्थी जरिये न्यायमित्र श्री नेकीराम शर्मा व जयपाल झौरड़ एवं रेस्पोडेन्ट जरिये न्याय मित्र श्री दलीप कुमार बसेर उपस्थित। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट को सुना गया। अपीलार्थी ने अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के आधिपत्य का जो भूखण्ड/रिहायशी मकान रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वअर्जित सम्पति बताई जा रही है जो अपीलार्थी के दादा टीकुराम द्वारा निर्मित व रेस्पोडेन्ट के दादा के जीवनकाल में बनाई गई है। अपीलार्थी व उसकी बहन की शादी सन् 2012 में एक ही परिवार में आमने सामने हुई है। अपीलार्थी की बहिन सुलोचना का अपने पति से मन में मनमुटाव होने के कारण अपने पति श्रवण से अलग गावं रणजीतपुरा में रह रही थी। सुलोचना ने अपने पति पर काफी मुकदमें कर रखे है। रेस्पोडेन्ट, अपीलार्थी की माता व सुलोचना चाहते थे कि अपीलार्थी भी अपनी पत्नी शारदा को घर से निकाल दे व तलाक दे देवे। अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी व बच्चों का परित्याग करने

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते
सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

से मना करने की रंजिशवश ही सुलोचना व अपीलार्थी के माता–पिता, अपीलार्थी को तंग परेशान करने व अपीलार्थी की पैतृक सम्पति को खुर्द बुर्द करने की चेष्टा करते रहते है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा मकान रणजीतपुरा में कब्जाशुदा 100 गुणा 80 फुट के प्लाट में से अपीलार्थी के 1/4 हिस्सा व कृषि भूमि चक 9 आर.पी. खाता संख्या 36 पत्थर नम्बर 165/365 (16) किला नम्बर 10, 11 के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है, उक्त स्थगन आदेश के कारण ही अपीलार्थी के पिता, अपीलार्थी को तंग परेशान करने की नियत से माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या आधारों पर उक्त प्रकरण दर्ज करवाया है। अपीलार्थी को उसके पिता ने सन् 2015 में ही घर से पैतृक सम्पति में कोई हिस्सा दिए बिना ही निकाल दिया था व सन् 2015 में अपीलार्थी को बेदखल भी किया जा चुका है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2021 को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट स्वयं व जरिये न्याय मित्र हाजिर आकर कथन किया कि सुभाष को गावं रणजीतपुरा में ही वर्ष 2014 में अलग मकान लेकर दे दिया जिसमें वह वर्ष 2014 से ही अपनी पत्नी सहित रहता है। रेस्पोडेन्ट के आधिपत्य व स्वामित्व का वार्ड नम्बर 13, गांव रणजीतपुरा में भूखण्ड रिहायशी मकान है जो रेस्पोडेन्ट का काफी अर्सा पूर्व खरीदशुदा है, जो रेस्पोडेन्ट की स्वअर्जित सम्पति है। अपीलार्थी व अपीलार्थी की पत्नी दोनों झगड़ालू किस्म के है तथा रेस्पोडेन्ट व रेस्पोडेन्ट की पत्नी से रंजिश रखते है व उन्हे जान से मारना चाहते है व रेस्पोडेन्ट के मकान को हड़पना चाहता है। अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट के उक्त रिहायशी मकान को दो–ढाई वर्ष पूर्व अपीलार्थी व उसके साला श्रवण ने जबरदस्ती मकान का ताला तोड़कर घर में घुस गये और रेस्पोडेन्ट के मकान पर कब्जा कर लिया जिसमें रेस्पोडेन्ट का घर में रखा हुआ सामान पूर्व चल व अचल सम्पत्ति अपने घर में ले गये तथा रेस्पोडेन्ट व रेस्पोडेन्ट की पत्नी व पुत्री को घर में घुसने नहीं दिया व धक्के देकर जबरदस्ती घर से निकाल दिया। रेस्पोडेन्ट को अपीलार्थी से रेस्पोडेन्ट के रिहायशी मकान व कृषि भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट को दिलवाया जावे तथा अपीलार्थी के कब्जे में रेस्पोडेन्ट का जो समान है वह रेस्पोडेन्ट को दिलवाया जावे। अपीलार्थी व उसकी पत्नी को पाबन्द किया जावे कि वे रेस्पोडेन्ट के स्वामित्व शुदा रिहायशी मकान व कृषि भूमि में भविष्य में किसी प्रकार दखलंदाजी नहीं करे।

दोनो पक्षकारों के कथनों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 के विरूद्ध भरण–पोषण अधिनियम की धारा 16 के तहत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपीलार्थी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को प्रति माह 3500 रूपये अपीलार्थी द्वारा दिये जाने के आदेश को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन अनुसार रेस्पोडेन्ट द्वारा भरण–पोषण अधिनियम की धारा 23 के तहत अपीलार्थी से मकान वार्ड नं. 13, ग्राम रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ जिसमें रसोई, स्नानघर शौचालय बना हुआ है, का कब्जा अपीलार्थी से दिलवाने व रेस्पोडेन्ट को उक्त रिहायशी मकान से किसी प्रकार से बेदखल नहीं करने व रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नी, पुत्री तथा दोहिती के निजी जीवन में किसी प्रकार की दखलंदाजी कारित नहीं करने बाबत अपीलार्थी को पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहा गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने दूसरे पुत्र से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया व न ही पक्षकार बनाया गया और न ही किसी पुत्र से भरण–पोषण भत्ता की मांग की गई जिससे स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट का विवाद

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

भरण–पोषण का ना होकर केवल अपने पुत्र व पुत्र वधु (सुभाष व उसकी पत्नी) के मध्य ही रिहायशी मकान व कृषि भूमि को लेकर है। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट आंशिक स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट के दोनो पुत्रों को भरण–पोषण भत्ता 3500 रूपये प्रत्येक पुत्र द्वारा रेस्पोडेन्ट को दिये जाने का आदेश दिनांक 12.10.2021 पारित किया गया जो उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक प्रश्नगत भूखण्ड रिहायशी मकान वार्ड नम्बर 13, गांव रणजीतपुरा में है जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने स्वामित्व का व खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पति बताया है, के सम्बन्ध में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए है जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट का भूखण्ड रिहायशी मकान स्वअर्जित सम्पति है। उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि व भूखण्ड रिहायशी मकान अपीलार्थी की पैतृक सम्पत्ति होने के सम्बन्ध में अपने हक व हिस्सा के लिए अपीलार्थी द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में दिवानी प्रकरण विचाराधीन होने का कथन किया गया। उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण से यह अपील अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट के मध्य प्रश्नगत कृषि भूमि व भूखण्ड रिहायशी मकान को लेकर भूमि एवं सम्पत्ति विवाद प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए भूमि एवं सम्पत्ति से सम्बन्धित विवाद का निर्णय करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं होने पर सक्षम न्यायालय से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें। रेस्पोडेन्ट की वृद्धावस्था को देखते हुए रहने के लिए आवास व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना दोनो पुत्रों का नैतिक दायित्व है। प्रश्नगत कृषि भूमि व भूखण्ड रिहायशी मकान में रेस्पोडेन्ट का भी हक व हिस्सा होने पर अपीलार्थी अपने साथ रेस्पोडेन्ट को भी रहने दे। अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट के हक व हिस्सा के भूमि व मकान में रेस्पोडेन्ट को निवास, आने–जाने व काश्त करने व किसी प्रकार से बेदखल नहीं करे। उक्त विवचनानुसार यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2021 न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ को पालनार्थ वापिस लौटाया जावे। आदेश की प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं भरण–पोषण अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं पक्षकारों को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़